

अति-आवश्यक



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास विभाग, अनुभाग-8)



(दूरभाष 0141-2227229, Email Id : pdme2k.rdd@rajasthan.gov.in)

क्रमांक प. 2(3)ग्रावि/अनु-8/समीक्षा बैठक/भ्रमण/2015/पार्ट-गा जयपुर, दिनांक :- 08/04/2022

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद समस्त, (राजस्थान)।

विषय – दिनांक 13.04.2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंस (वी.सी.) आयोजन के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रमुख शासन सचिव महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 13.04.2022 को 03.00 बजे से 5.00 बजे तक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में संचालित योजनाओं यथा महात्मा गांधी नरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण एवं स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण की प्रगति समीक्षा हेतु ग्रामीण विकास के समिति कक्ष, उत्तर-पश्चिमी भवन, शासन सचिवालय, जयपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंस (वी.सी.) के माध्यम से समीक्षा बैठक आयोजित की जावेगी।

उक्त समीक्षा बैठक में संबंधित राज्य स्तरीय विभागीय अधिकारी एवं जिला स्तर से मुख्य कार्यकारी अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस (वी.सी.) (NIC द्वारा) के माध्यम से अद्यतन सूचनाओं के साथ भाग लेना सुनिश्चित करें।

भवदीय,


(बी. एल. वर्मा)

परि. निदे. एवं पदेन उप सचिव
(मो. एवं मू.)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
- 2 विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
- 3 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
- 4 निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।

- 5 निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज।
- 6 निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
- 7 निजी सचिव, निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन।
- 8 निजी सचिव, निदेशक, पंचायती राज।
- 9 जिला कलक्टर समस्त।
- 10 शासन उप सचिव (प्रशासन), ग्रामीण विकास।
- 11 परि. निदे. एवं शासन उप सचिव, महात्मा गांधी नरेगा।
- 12 अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण विकास।
- 13 राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी (NIC) को वी.सी. हेतु स्लोट बुक करने हेतु।
- 14 परियोजना अधिकारी (प्रशासन), ग्रावि को जल-पान आदि की व्यवस्थार्थ।
- 15 प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को पत्र विभागीय वेबसाईट www.rdprd.gov.in पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।


परि. निदे. एवं पदेन उप सचिव
(मो. एवं मू.)